2022/64

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांट

श्री रूस्तम खान पठान
जाति मुसलमान
निवासी नयावास नं. 02
जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 17 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
03.02.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 16.03.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण, सिरोही के परिवाद सं. 55/2015 रूस्तमखान बनाम प्रगति क्रेडिट को. ओ. सोसायटी लि. सिरोही व अन्य में पारित निर्णय के अन्तर्गत इजराय प्रकरण सं. 02/2016 में श्री मंछाराम पुत्र श्री छगनलाल व अन्य से वसूली हेतु कुर्की अधिपत्र जारी किए गए, जो तहसीलदार सिरोही के कार्यालय में विचाराधीन है। अतः इसमें वसूली हेतु की गई कार्यवाही एवं बाकीदारों के पास चल/अचल सम्पत्ति होने अथवा नहीं होने के सम्बन्ध में की गई जांच से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 16.03.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण, सिरोही के परिवाद सं. 55/2015 रूस्तमखान बनाम प्रगति क्रेडिट को. ओ. सोसायटी लि. सिरोही व अन्य में पारित निर्णय के अन्तर्गत इजराय प्रकरण सं. 02/2016 में श्री मंछाराम पुत्र श्री छगनलाल व अन्य से वसूली हेतु कुर्की अधिपत्र जारी किए गए, जो तहसीलदार सिरोही के कार्यालय में विचाराधीन है। अतः इसमें वसूली हेतु की गई कार्यवाही एवं बाकीदारों के पास चल/अचल सम्पत्ति होने अथवा नहीं होने के सम्बन्ध में की गई जांच से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि उक्त सूचना तहसीलदार सिरोही से सम्बन्धित है अपीलांट का मूल आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा कार्यालय तहसीलदार सिरोही को स्थानान्तरित कर दिया था। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को आदेशित किया जिला कलेक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.02.15 18:17:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.02.15 18:17:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner